न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –62/2020(20/00313)

अनवान : –

1. चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी झांसल तहसील भादरा –**प्रार्थीया**

बनाम

1. राजस्थान स्टेट जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा। – **अप्रार्थीया**

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 मू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–श्री मुन्शीराम गोस्वामी **प्रार्थीया**
पेरोकार राज **अप्रार्थीया**

निर्णय दिनांक 16/7/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 19/20 के मु. नं. 30 के किला नं. 1, मु.नं. 31 किला नं. 4 ता 7, मु.नं. 41 किला नं. 6, मु.नं. 42 के किला नं. 1, 2/1, 9/1, 10 कुल किता 10 की 2.189 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता प्रार्थीया के नाम से कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

ऊपर वर्णित भूमि में प्रार्थीया या का नाम चन्द्रोदेवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का सही नाम चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड एवं अन्य सभी दस्तावेज चन्द्रवती नाम से ही है। प्रार्थीया का सभी दस्तावेजों में नाम चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश ही दर्ज है।

उक्त भूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकार्ड में अपना नाम चन्द्रोदेवी पत्नी ओमप्रकाश की जगह चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद अप्रार्थीया पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:39 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ... किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। ...गत प्रार्थना पत्र रोही मौ... 3 जेएसएल के खाता संख्या 19/20 के मु. नं. 30 के किला नं. 1, मु.नं. 31 किल... ता 7, मु.नं. 41 किला नं. 6, मु.नं. 42 के किला नं. 1, 2/1, 9/1, 10 कुल किता 10 की 2.189 हैक्टर नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया या का नाम दर्ज करते समय संवहन से चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश की जगह चन्द्रोदेवी पत्नी ओमप्रकाश दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थीया या का सही नाम चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश है। प्रार्थीया ने अपना प्रार्थना पत्र साबित करने के लिए साक्ष्य में सभी दस्तावेज पेश किये जो चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश नाम से ही है। इस प्रकार प्रार्थीया या अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में सफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अत : प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 3 जेएसएल के खाता संख्या 19/20 के मु. नं. 30 के किला नं. 1, मु.नं. 31 किला नं. 4 ता 7, मु.नं. 41 किला नं. 6, मु. नं. 42 के किला नं. 1, 2/1, 9/1, 10 कुल किता 10 की 2.189 हैक्टर नहरी मय खाला रास्ता कृषि भूमी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उसमें प्रार्थीया का सही नाम **चन्द्रोदेवी पत्नी ओमप्रकाश की जगह चन्द्रवती पत्नी ओमप्रकाश** दर्ज किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच चन्द्रोदेवी के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में चन्द्रोदेवी के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए भी चन्द्रोदेवी नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छिपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया या स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ....16/7/21.... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.08.26 12:13:39 IST
Reason: SelfAttested